अंचल अधिकारी का न्यायालय, गोमिया (बोकारो)।

विविध वाद संख्या– 07 / 2025–26

रविन्द्र तुरी

–बनाम्–

बैजनाथ तुरी

–:: आदेश ::–

21.06.2025

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक रविन्द्र तुरी पिता बंधन तुरी, ग्राम+पो0– कुर्कनालो, थाना– चतरोचट्टी, जिला– बोकारो के द्वारा एक आवेदन पत्र देकर सूचित किया गया है कि मौजा– कुर्कनालो, खाता सं0– 33, प्लॉट सं0– 513, रकवा– 07 डी0 रैयती जमीन पर शौचालय निर्माण हेतु सेप्टिक का निर्माण कार्य कर रहे है तो बैजनाथ तुरी पिता स्व0 लालधन तुरी, ग्राम+पो0– कुर्कनालो, थाना– चतरोचट्टी निवासी ने उनके पूर्वज द्वारा रखे जमीन पर हो रहे टंकी निर्माण कार्य को जबरन रोक दिए है एवं अपने दखल का दावा कर रहे। बैजनाथ तुरी के जबरन दखल व हक करने से उनके निर्माण कार्य बाधित है। अंत में उनके द्वारा प्रश्नगत जमीन का जाँच पड़ताल कर उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

विपक्षी के द्वारा उपस्थिति दर्ज करते हुए लिखित जबाब दाखिल किया गया है। जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि यह वाद पोषणीय नहीं है और खारिज करने लायक है। यह मामला कानूनन कालबाधित हो चुका है एवं adverse possession का है साथ ही Special relief act के प्रावधानों से भी प्रभावित है। विवादित भूमि मौजा कुर्कनालो के खाता सं0– 33, प्लॉट सं0– 513 रकवा 07 डी0 भूमि से संबंधित है। प्रतिवादी के द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियानी रैयती भूमि है। सर्वे रैयत लटु तुरी पिता जगत तुरी जाति तुरी है। प्रतिवादी के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रथम पक्ष सर्वे रैयत लटु तुरी पिता जगत तुरी की सर्वे खतियानी भूमि है।

प्रतिवादी के द्वारा कहा गया है कि सर्वे रैयत रूपन तुरी पिता लटु तुरी खाता सं0– 51, प्लॉट सं0– 512, रकवा– 02 डी0 की भूमि का मालिक है। प्रतिवादी खाता सं0– 33 प्लॉट सं0– 513 रकवा 7 डी0 के सर्वे रैयत लटु तुरी तथा खाता सं0– 51, प्लॉट सं0– 512 रकवा 02 डी0 के सर्वे रैयत रूपन तुरी का वंशज है। प्लॉट सं0– 513 रकवा– 07 डी0 तथा प्लॉट सं0– 512 रकवा– 02 डी0 में से मात्र 06 डी0 भूमि है। प्लॉट सं0– 512 एवं 513 को वर्ष 1940 में सर्वे रैयत रूपन तुरी ने प्रतिवादी/विपरीत पक्ष के पूर्वज सर्वे रैयत बासुदेव तुरी के साथ आदान–प्रदान किया था, जिनके पास मौजा कुर्कनालो–94 के खाता सं0–24 प्लॉट सं0–509 के अन्तर्गत रकवा 15 डी0 मध्ये 06 डी0 भूमि है। वादी और प्रतिवादी के सर्वे रैयत द्वारा भूमि के आदान–प्रदान के बाद, सर्वे रैयत बासुदेव तुरी का प्लॉट सं0– 512 में से 06 डी0 भूमि पर भौतिक कब्जा प्राप्त हुआ। बासुदेव तुरी के मृत्यू के पश्चात उनके तीन पुत्रों ने पैतृक सम्पत्ति का पारिवारिक बँटवारा कर लिया, जिसमें प्रश्नगत भूमि भी शामिल है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि जिबलाल तुरी के हिस्से में आ गई। प्रश्नगत भूमि पर हिस्सा मिलने के बाद जिबलाल तुरी वहाँ रहते थे। जिबलाल तुरी के मृत्यू के उपरान्त उनके चार पुत्रों ने पारिवारिक बँटवारा कर लिया और प्रश्नगत भूमि लालधन तुरी के हिस्से में आ गई। वर्ष 2003 में लालधन तुरी की मृत्यू हो गई और वे अपने पीछे अपनी पत्नी, तीन विवाहित बेटियों और एक बेटे को छोड़ गए जिनका नाम बैजनाथ तुरी है जो इस वाद में प्रतिवादी है। प्रतिवादी के पूर्वज ने उनके द्वारा छोड़ी गई जगह पर सूर्याही देवता की स्थापना की है। उपरोक्त पूजा स्थल का उपयोग प्रतिवादी के सभी गोतिया और आम लोगों द्वारा पूजा करने के लिया किया जाता है, जबकि प्रथम पक्ष उसी स्थान को शौचालय के उद्देश्य से हड़पना चाहते है। भूमि आदान–प्रदान के पश्चात प्रथम पक्ष के पूर्वज अर्थात खाता सं0– 51 के सर्वे रैयत रूपन तुरी ने खाता सं0– 24 प्लॉट सं0– 509 के विनिमयित रकवे 15 डी0 में से 6 डी0 भूमि पर भौतिक कब्जा कर लिया और भूमि का उपयोग खेती के उद्देश्य से किया। बाद में पारिवारिक बँटवारा के पश्चात खाता सं0– 24 प्लॉट सं0– 509 रकवा 06 डी0 जगदीश तुरी,

हरिबोल तुरी, प्रसादी तुरी, उमेश तुरी, बंधन तुरी और दयानंद तुरी के हिस्से में आया। बंधन तुरी वादी के पिता है और और दयानंद तुरी वादी के चाचा है। दयानन्द तुरी ने वर्ष 2011–12 में गोमिया प्रखण्ड प्राधिकार के समक्ष ''सरकारी कूप'' की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि खाता सं0–24, प्लॉट सं0– 509, रकवा– 6 डी0 भूमि उनके स्वामित्व में है। गोमिया प्रखण्ड प्राधिकार द्वारा उक्त भूमि के सत्यापन के उपरान्त सरकारी कूप की स्वीकृति प्रदान की गई। फलस्वरूप सरकारी कूप बनवाया गया, जिसका उपयोग उनके गोतिया के द्वारा किया जा रहा है। बाद में वादी के गोतिया ने सरकारी योजना के तहत शौचालय का निर्माण कराया गया था। अन्त में उनके द्वारा कहा गया कि प्रश्नगत भूमि पर उनका कानूनी अधिकार, स्वामित्व और दखल–कब्जा को स्थापित करता है। इसलिए यह मामला खारिज करने लायक है।

आवेदक के द्वारा कहा गया कि वह अपने पूर्वज के जमीन में, जिसका खतियान लटू तुरी के नाम से है, में खाता सं0–33 के प्लॉट सं0– 513 में शौचालय निर्माण का कार्य कर रहे है। प्रतिवादी का यह कहना कि वादी को खाता सं0– 33, प्लॉट सं0– 513 के बदले खाता सं0– 24, प्लॉट सं0– 509 दिया गया है, इसका उनके पास कोई विधिक प्रमाण नहीं है। आवेदक के बड़े पिताजी के द्वारा प्रतिवादी के जमीन के सीमा एवं अन्य रैयत के जमीन के सीमा में कूप का निर्माण का कार्य मनरेगा के द्वारा किया गया है। प्लॉट सं0– 509 में उनका कोई व्यक्तिगत घर या कूप नहीं है। प्रतिवादी के जमीन में अनजाने में खाता सं0– 33, प्लॉट सं0– 513 के सीमा में सिंचाई कूप का निर्माण मनरेगा के द्वारा किया गया है। प्रतिवादी के द्वारा जबरजस्ती उनके जमीन में दावा किया जा रहा है। रजिस्टर–।। में प्रश्नगत भूमि उनके पूर्वज के नाम से दर्ज है। अन्त में उनके द्वारा जल्द से जल्द अपनी भूमि पर शौचालय निर्माण का कार्य करने हेतु आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में संबंधित राजस्व उप निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा– कुर्कनालो, खाता सं0– 33, प्लॉट सं0– 513, रकवा– 07 डी0 भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत लटु गोडाईत तुरी पिता जगत गोडाईत तुरी, किस्म घरबाडी जिसका रसिद पंजी– ॥ के पृष्ठ सं0– 48/। में दर्ज एवं वर्ष 2023–24 तक निर्गत है। उक्त भूमि के प्लॉट सं0– 513, रकवा– 07 डी0 पर आवेदक रविन्द्र तुरी द्वारा शौचालय का निर्माण किया जा रहा हे। जो भूमि पूर्वज का है परन्तु उसी गाँव निवासी बैजनाथ तुरी पिता लालधन तुरी जबरन दखल करने के ख्याल से शौचालय निर्माण पर रोक लगा दिया है। दखल को लेकर दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई है।

दोनो पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संधारित अन्य राजस्व कागजातों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि प्रश्नगत मौजा– कुर्कनालो, खाता सं0– 33, प्लॉट सं0– 513, रकवा– 07 डी0 भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत लटु गोडाईत तुरी पिता जगत गोडाईत तुरी, किस्म घरबाडी जिसका रसिद पंजी– ॥ के पृष्ठ सं0– 48/। में दर्ज एवं वर्ष 2023–24 तक निर्गत है। उक्त भूमि के प्लॉट सं0– 513, रकवा– 07 डी0 पर आवेदक रविन्द्र तुरी द्वारा शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। जो भूमि उनके पूर्वज का है। द्वितीय पक्ष के द्वारा दिए गए लिखित जबाब का कोई ठोस आधार नहीं है। उनके द्वारा प्रश्नगत या विवादित भूमि के आदान–प्रदान के संदर्भ में अब तक कोई भी विधिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऑन–लाईन पंजी– 2 में आपत्तिकर्ता का नाम दर्ज नहीं है। स्पष्टतः प्रतिवादी के द्वारा जान–बूझकर आवेदक को शौचालय निर्माण करने से रोका जा रहा है।

वर्णित परिस्थिति में प्रतिवादी को निदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि को लेकर वेबजह आवेदक को परेशान न करें और उन्हें शौचालय निर्माण करने में आवश्यक सहयोग करें। यदि प्रतिवादी को

ऐसा लगता है कि यह मामला उनके अपने हक एवं अधिकार तथा स्वत्त्व का है, तो वह सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है।

उक्त विवेचन के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखामित एवं संशोधित।

21.6.25

अंचल अधिकारी
गोमिया।

21.6.25

अंचल अधिकारी
गोमिया।

स्थानः— गोमिया।
दिनांकः— 21.06.2025

Digitally signed by Md Aftab Alam
Date: 2025.06.24 11:23:58 +05:30
Location: 192.168.33.139